



॥ आवश्यक सूचना ॥

(विज्ञापन संख्या-02/2025)

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या 02/2025 {PR No. 000734 (B&C) 2025-26 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य के विभिन्न Health & Wellness Centers (HWC's)/आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (महिला/पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता/आशा आदि) का नेतृत्व करने, रोगों की रोकथाम तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के निमित्त **Community Health Officer (CHO)** के संविदागत 4500 रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का Computer Based Test (CBT) दिनांक- 10/07/2025 को राज्य के विभिन्न जिलों के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गयी।

CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधा क्रम में अधिकतम 1:1.5 के अनुपात में प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है। प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची (आवेदन संख्या के क्रम में) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाइट <https://shs.bihar.gov.in> पर प्रकाशित है। उक्त प्रकाशित सूची पूर्णतः औपबन्धिक है। प्रमाण-पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को ही अंतिम मेधा सूची में कोटिवार रिक्ति तथा राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार चयनित किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र सत्यापन (Document Verification)/Counseling के लिए तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :-

पद का नाम		Community Health Officer (CHO)									
कुल विज्ञापित पद	अभ्यर्थियों की कुल संख्या	प्रकाशित सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का क्रम संख्या									
		11.08.25		12.08.25		13.08.25		14.08.25		18.08.25	
		Batch-I (10AM-1PM)	Batch-II (2PM-5PM)	Batch-I (10AM-1PM)	Batch-II (2PM-5PM)	Batch-I (10AM-1PM)	Batch-II (2PM-5PM)	Batch-I (10AM-1PM)	Batch-II (2PM-5PM)	Batch-I (10AM-1PM)	Batch-II (2PM-5PM)
4500	5272	01-527	528-1054	1055-1581	1582-2108	2109-2635	2636-3162	3163-3689	3690-4216	4217-4743	4744-5272

CHO पद हेतु अभ्यर्थियों का Document Verification/ Counseling दिनांक 11.08.2025, 12.08.2025, 13.08.2025, 14.08.2025 एवं 18.08.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक दो बैच में निर्धारित किया गया है। पहले चरण (Morning) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 09:30AM एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 01:30PM निर्धारित है। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि :-

- (1) उक्त पद के अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्धारित तिथि को वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के क्रमानुसार स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण-पत्र सत्यापन करायेंगे।
- (2) प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी। निर्धारित तिथि को प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश जाँच के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो केवल विशेष परिस्थिति में अंतिम तिथि दिनांक- 18.08.2025 को प्रमाण-पत्र सत्यापन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें वैध कारण (Valid reason) के साथ लिखित आवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि के पश्चात् प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु किसी भी आवेदन/अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।



- (3) इस संबंध में विज्ञापन में प्रकाशित प्रमाण-पत्र सत्यापन संबंधी सभी निदेशों का अनुपालन करना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।
- (4) Shortlisted अभ्यर्थी उक्त तिथि को (प्रकाशित सूची/तिथि के अनुसार) विज्ञापन में उल्लेखित सभी प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति एवं उसका एक सेट स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (जो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अंकित/अपलोड किया गया है) अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त Documents पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नलिखित Documents (मूल प्रति एवं एक सेट छायाप्रति) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा –
- दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (जो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया गया है)।
 - ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Application) की प्रिन्ट कॉपी।
 - परीक्षा प्रवेश-पत्र (Admit Card-Candidate Copy) की प्रति।
 - फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा- Voter ID, AADHAR, PAN, Driving Licence इत्यादि (जो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया गया है)।
 - जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।
 - अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी अंक पत्र, सर्टिफिकेट इत्यादि (जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में किया गया है)।
 - आरक्षण का दावा करने से संबंधित विशिष्ट दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है:-
 - आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।
 - Online आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
- A. ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
 - जाति प्रमाण-पत्र
- B. ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
 - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र – (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
- C. ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
 - आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (सा०प्र०विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के अनुसूची-1/प्रपत्र-1 में)।

सा०प्र०विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-673 दिनांक 08.03.2011, पत्रांक 15760 दिनांक 02.09.2022 एवं 11734 दिनांक 20.06.2023 के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों (विवाहित महिलाओं सहित) का जाति/क्रीमीलेयर



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



रहित प्रमाण-पत्र, उनके पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए (न कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से)।

सां०प्र०विभाग, बिहार की पत्रांक 12123 दिनांक 23.06.2023 के आलोक में विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र मूल रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के समक्ष प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- दिव्यांगता तथा स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती से संबंधित आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से निर्गत वैध प्रमाण-पत्र।
- किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- विज्ञापन में उल्लेखित प्रमाण-पत्र से संबंधित सभी नियमों का पालन करना आवेदक की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

(5) यदि कोई अभ्यर्थी Document Verification में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

(6) योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने ऑनलाईन आवेदन में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, **Cut-off date-(01.04.2025)** के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

(7) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाइट—<https://shs.bihar.gov.in> पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

(8) Document Verification/ Counseling में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA देय नहीं होगा।

(9) Document Verification के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का उक्त बिन्दु पर निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(10) Document Verification से संबंधित पृच्छाओं के जवाब/जानकारी हेतु Control Room के फोन नंबर **8544421978** पर संपर्क किया जा सकता है।

(राजेश कुमार)

संयुक्त सचिव-सह-
प्रभारी, मानव संसाधन

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से सलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।